



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939

No. 20]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSA 12, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2018

**का.आ. 29(अ).**—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 31 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और आरंभ-(1)** इस स्कीम का नाम इलेक्टोरल बांड स्कीम, 2018 होगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

**2. परिभाषा:** इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "इलेक्टोरल बांड" का अर्थ प्रोमेसरी नोट के स्वरूप में जारी बांड है जो एक धारक बैंकिंग लिखित होगा और इस पर क्रेता या आदाता का नाम नहीं होगा;

(ख) "प्राधिकृत बैंक" का अर्थ है भारतीय स्टेट बैंक जो इस अधिसूचना के अनुबंध-I में यथा विनिर्दिष्ट शाखाओं में बांड जारी करने और उसके नकदीकरण के लिए प्राधिकृत है;

(ग) "निर्गमकर्ता शाखा" का अर्थ है इलेक्टोरल बांड जारी करने के लिए अनुबंध-I में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत बैंक की नामोदिष्ट शाखा;

(घ) "व्यक्ति" में शामिल हैं-

(i) व्यष्टि;

(ii) हिंदू अविभाजित परिवार;

(iii) कंपनी;

(iv) फर्म;

(v) व्यक्तियों का संघ अथवा व्यष्टियों का निकाय, चाहे निर्गमित हों अथवा न हो;

(vi) किसी पूर्ववर्ती उप-खंडों में न आने वाला प्रत्येक कृत्रिम वैधिक व्यक्ति; और

(vii) ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीनकोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा।

**3. इलेक्ट्रोरल बांड खरीदने और नकदीकरण के लिए पात्रता-**(1) इस स्कीम के तहत बांड ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक हो अथवा भारत में निर्गमित या स्थापित हो।

(2) एक व्यक्ति व्यष्टि होने के नाते अकेले अथवा अन्य व्यष्टियों के साथ संयुक्त रूप से बांड खरीद सकता है।

(3) इसके लिए केवल वही राजनीतिक पार्टीयां बांड प्राप्त करने की पात्र होंगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 के तहत पंजीकृत हों और जिन्हें लोक सभा अथवा विधान सभा, जैसा भी मामला हो, के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।

(4) इस बांड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत बैंक के निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

**4. अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) की प्रयोज्यता** (1) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के ग्राहक के लिए "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) के संबंध में जारी वर्तमान अनुदेश इन बांडों के क्रेताओं पर लागू होंगे।

(2) यदि आवश्यक हो, तो प्राधिकृत बैंक अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के संबंध में किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कर सकता है।

**5. मूल्यवर्ग - ये बांड ₹ 1,000, ₹10,000, ₹1,00,000, ₹10,00,000 और ₹1,00,00,000 के मूल्यवर्ग में जारी किए जाएंगे।**

**6. बांड की वैधता-** (1) बांड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बांड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने खाते में जमा किए गए बांड को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा।

**7. बांडों की खरीद के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया –** (1) बांड खरीदने का इच्छुक प्रत्येक क्रेता इस अधिसूचना के अनुबंध-II में विनिर्दिष्ट प्रारूप में वास्तविक रूप में या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

(2) प्रत्येक आवेदन में अनुबंध-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार विवरण शामिल होंगे और इसके साथ विनिर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

(3) आवेदन प्राप्त होने पर, निर्गमकर्ता शाखा अपेक्षाएं पूर्ण पाई जाने पर अपेक्षित बांड जारी करेगी।

(4) क्रेता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को प्राधिकृत बैंक द्वारा गोपनीय माना जाएगा और किसी भी प्रयोजन के लिए किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी, सिवाय तब जब सक्षम न्यायालय द्वारा मांगी जाएं अथवा किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा आपराधिक मामला दर्ज किया गया हो।

(5) "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) के मानदंडों का पालन न करने वाले आवेदन या स्कीम की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(6) क्रेता को बांड, वापस न करने योग्य आधार पर जारी किया जाएगा।

**8. बांडों के निर्गम की अवधि-** (1) इस स्कीम के तहत बांड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर प्रत्येक महीने में किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने के लिए 10 दिन की अवधि, जो केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है, के लिए उपलब्ध होंगे।

(2) लोक सभा के लिए आम चुनाव होने वाले वर्ष में इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

**9. ब्याज- बांड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।**

**10. निर्गमकर्ता कार्यालय और देय कमीशन-** बांड की खरीद करने के लिए क्रेता द्वारा बांड निर्गम हेतु कोई कमीशन, दलाली या कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा।

**11. भुगतान के विकल्प-** (1) बांड के निर्गम के लिए सभी भुगतान भारतीय रूपए में, डिमांड ड्राफ्ट या चैक से अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम से या क्रेता के खाते से सीधे नामे डालकर स्वीकार किए जाएंगे।

(2) जहां भुगतान चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो यह ऐसे बांड के निर्गम के स्थान पर निर्गमकर्ता बैंक के पक्ष में किया जाएगा।

**12. बांड का नकदीकरण-** (1) इस बांड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने नामोदिप्ट बैंक खाते में इसे जमा करके किया जाएगा।

(2) पंद्रह दिनों की वैधता अवधि के भीतर नकदीकृत न किए गए बांडों की राशि प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी।

**13. कर उपाय-** बांडों का अंकित मूल्य आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13क के तहत आयकर से छूट के प्रयोजन से, पात्र राजनीतिक पार्टी को प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय मानी जाएगी।

**14. बांडों का कारोबार-** बांड कारोबार के लिए पात्र नहीं होंगे।

अनुबंध-

**प्राधिकृत बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक**  
[खंड 2(ख) देखें]

निर्गमकर्ता शाखाओं की सूची: [खंड 2(ग) देखें]

क्र.सं.	राज्य	शाखा कोड	शाखा का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	952	विशाखापत्नम
		948	विजयवाड़ा
2.	अंडमान और निकोबार	156	पोर्ट ब्लेयर
3.	अरुणाचल प्रदेश	6091	ईटानगर
4.	असम	78	गुवाहाटी
5.	बिहार	152	पटना मुख्य शाखा
6.	चंडीगढ़	626	चंडीगढ़ मुख्य शाखा
7.	छत्तीसगढ़	461	रायपुर
		336	बिलासपुर
8.	दादर और नागर हवेली	6586	सिलावासा
9.	दमन और दीव	514	दमन
10.	दिल्ली	691	नई दिल्ली मुख्य शाखा
11.	गोवा	509	पण्डी
12.	गुजरात	1355	गांधीनगर
		301	अहमदाबाद
13.	हरियाणा	645	नई कौलोनी गुडगांव
14.	हिमाचल प्रदेश	718	शिमला
15.	जम्मू और कश्मीर	2295	बादामी बाग बीआर श्रीनगर
		657	जम्मू
16.	झारखण्ड	167	रांची
17.	कर्नाटक	813	बंगलोर मुख्य शाखा
		846	हुबली
18.	केरल	941	तिरुवनंतपुरम मुख्य
19.	लक्ष्मीप	5080	कावारती
20.	मध्य प्रदेश	1308	भोपाल मुख्य शाखा
		377	ग्वालियर मुख्य शाखा
21.	महाराष्ट्र	300	मुंबई मुख्य शाखा
		432	नागपुर

		454	पुणे मुख्य शाखा
22.	मणिपुर	92	इंफाल
23.	मेघालय	188	शिलांग
24.	मिजोरम	1539	आईजोल
25.	नागालैंड	214	कोहिमा
26.	ओडिशा	41	भुवनेश्वर
		59	कटक
27.	पुदुचेरी	900	पुदुचेरी
28.	पंजाब	674	लुधियाना
29.	राजस्थान	656	जयपुर मुख्य शाखा
		659	जोधपुर
30.	सिक्किम	232	गंगटोक
31.	तमिलनाडु	800	चेन्नई मुख्य शाखा
		827	कोयंबटूर
32.	तेलंगाना	916	सिंकंदराबाद
		847	हैदराबाद मुख्य शाखा
		2	अगरतल्ला
33.	त्रिपुरा	125	लखनऊ
34.	उत्तर प्रदेश	86	गोरखपुर
		102	झांसी
		602	आगरा मुख्य शाखा
35.	उत्तराखण्ड	630	देहरादून मुख्य शाखा
36.	पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता मुख्य शाखा
		184	सिलीगुड़ी

अनुबंध-॥

इलेक्टोरल बांड जारी करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

इलेक्टोरल बांड ..... (वर्ष) के लिए आवेदन-पत्र		
जारी करने वाले बैंक का नाम:	शाखा का नाम:	
दिनांक:		
अभिदान की विधि	चेक/डिमांड ड्राफ्ट	इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर
अपेक्षित इलेक्टोरल बांड का मूल्यवर्ग और नंबर (1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए 10,00,000 रुपए और 1,00,00,000 रुपए के मूल्यवर्ग में)		
पैन नं./टैन नं., यथा लागू		

आवेदक की स्थिति (दिनांक ..... की अधिसूचना सं. ..... के खण्ड 3(क) के अनुसार)	व्यष्टि	एचयूएफ	कम्पनी	फर्म	चैरिटेबल ट्रस्ट	अन्य
आवेदक का विवरण (स्पष्ट अक्षरों में)						
प्रथम/मुख्य आवेदक का पूरा नाम:						
पहचान का विवरण: (पासपोर्ट, आधार/मतदाता पहचान पत्र)						
दूसरे आवेदक का पूरा नाम:						
<b>(परिस्थितियों के अनुसार और आवेदकों के नाम शामिल किए जा सकते हैं)</b>						
पहचान का विवरण: (पासपोर्ट, आधार/मतदाता पहचान पत्र)						
प्रथम/मुख्य आवेदक का पूरा पता:						
संपर्क का विवरण/ फोन/फैक्स: ईमेल:						
घोषणा: मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं और वचन देता हूँ/देते हैं कि						
(i) आवेदन पत्र में दी गई सूचना सभी प्रकार से सही है।						
(ii) मैंने इलेक्टोरल बांड के क्रेता से संबंधित सूचना का विवरण और इलेक्टोरल बांड धारक के अधिकारों और कर्तव्यों को पढ़ और समझ लिया है।						
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर					
प्रथम आवेदक	दूसरा आवेदक					
यदि अँगूठे का निशान लगाया गया हो तो दो गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाए:						
प्रथम गवाह (विवरण)	दूसरा गवाह (विवरण)					
<b>एचयूएफ के लिए घोषणा:</b>						
मैं, ..... प्रथम आवेदनक के सामने दिए गए पते पर रहने वाला, दृढ़तापूर्वक पूछि करता/करती हूँ कि मैं हिन्दु अविभाजित परिवार का कर्ता हूँ और इसलिए मुझे एचयूएफ के नाम मौजूद इलेक्टोरल बांड को खरीदने और अन्य प्रकार से उसका निपटान करने का पूरा अधिकार है।						
एचयूएफ के लिए और उसकी ओर से नमूना हस्ताक्षर (एचयूएफ का नाम):						
स्थान:						
दिनांक:	कर्ता के हस्ताक्षर					
कार्यालय प्रयोग हेतु						

आवेदन प्राप्त होन की तारीख	वीएलए नं./ सीआईएफ नं.	एन्यूएफ की स्थिति (हां/नहीं)	कोई अन्य सूचना
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------

इलेक्टोरल बांड के क्रेताओं हेतु सूचना:

मद	इलेक्टोरल बांड
कौन खरीद सकता है	(1) इस योजना के अंतर्गत बांड उस व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक हो या भारत में निर्गमित या स्थापित हो। (2) कोई व्यष्टि अकेला या अन्य व्यष्टि के साथ संयुक्त रूप से बांड खरीद सकता है।
निवेश की सीमा	कोई नहीं
इलेक्टोरल बांड का फार्म	गैर-वापसी योग्य बैंकिंग लिखत, वास्तविक रूप में
ब्याज का विकल्प	कोई ब्याज देय नहीं होगा
इलेक्टोरल बांड का अस्तित्व	जारी किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है।
हस्तांतरणीयता	हस्तांतरणीय नहीं
इन इलेक्टोरल बांडों की प्रत्याभूति के बदले बैंकों से ऋण	अनुमति नहीं
आवेदन फार्म	अधिकृत बैंकों की निर्दिष्ट शाखाओं में उपलब्ध
नगदीकरण	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अंतर्गत केवल पंजीकृत राजनीतिक पार्टी, जिसने लोक सभा या विधान सभा, जैसा भी मामला हो, के पिछले आम चुनाव में कम-से-कम एक प्रतिशत मत प्राप्त किया हो, बांड प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

[फा. सं. 4(23)-वी(डब्ल्यू एण्ड एम)/2017]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2018

**S.O. 29(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) This scheme may be called the Electoral Bond Scheme, 2018.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Definition.**— In this Scheme, unless the context otherwise requires, —

(a) “electoral bond” means a bond issued in the nature of promissory note which shall be a bearer banking instrument and shall not carry the name of the buyer or payee;

(b) “authorised bank” means the State Bank of India authorised to issue and encash the bonds in the branches specified in **Annexure I** to this notification;

(c) “issuing branch” means a designated branch of the authorised bank specified in **Annexure I** for issuing electoral bonds;

(d) “person” includes—

(i) an individual;

- (ii) a Hindu undivided family;
- (iii) a company;
- (iv) a firm;
- (v) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not;
- (vi) every artificial juridical person, not falling within any of the preceding sub-clauses; and
- (vii) any agency, office or branch owned or controlled by such person.

**3. Eligibility for purchase and encashment of electoral bond.**—(1) The Bond under this Scheme may be purchased by a person, who is a citizen of India or incorporated or established in India.

(2) A person being an individual can buy bonds, either singly or jointly with other individuals.

(3) Only the political parties registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one per cent of the votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly, as the case may be, shall be eligible to receive the bond.

(4) The bond shall be encashed by an eligible political party only through a bank account with the authorised bank.

**4. Applicability of Know Your Customer Norms.**—(1) The extant instructions issued by the Reserve Bank of India regarding Know Your Customer norms of a bank's customer shall apply for buyers of the bonds.

(2) The authorised bank may call for any additional Know Your Customer documents, if it deems necessary.

**5. Denomination.**—The bonds shall be issued in the denomination of ₹ 1000, ₹ 10,000, ₹ 1,00,000, ₹ 10,00,000 and ₹1,00,00,000.

**6. Validity of Bond.**— (1) The bond shall be valid for fifteen days from the date of issue and no payment shall be made to any payee political party if the bond is deposited after expiry of the validity period.

(2) The bond deposited by any political party to its account shall be credited on the same day.

**7. Procedure for making application for purchase of bonds.**— (1) Every buyer desirous of purchasing bond can apply with a physical or through online application in the format specified in **Annexure II** to this notification.

(2) Every application shall contain particulars as per the format in **Annexure-II** and shall be accompanied with the specified documents.

(3) On receipt of an application, the issuing branch shall issue the requisite bond, if all the requirements are fulfilled.

(4) The information furnished by the buyer shall be treated confidential by the authorised bank and shall not be disclosed to any authority for any purposes, except when demanded by a competent court or upon registration of criminal case by any law enforcement agency.

(5) A non-Know Your Customer compliant application or an application not meeting the requirements of the scheme shall be rejected.

(6) The bond shall be issued to the buyer on non-refundable basis.

**8. Periodicity of issue of bonds.**— (1) The bonds under this Scheme shall be available for purchase by any person for a period of ten days each in the months of January, April, July and October as may be specified by the Central Government.

(2) An additional period of thirty days shall be specified by the Central Government in the year of general elections to the House of People.

**9. Interest.**—No interest shall be payable on the bond.

**10. Issuing offices and commission payable.**—No commission, brokerage or any other charges for issue of bond shall be payable by the buyer against purchase of the bond.

**11. Payment options.**—(1) All payments for the issuance of the bond shall be accepted in Indian rupees, through demand draft or cheque or through Electronic Clearing System or direct debit to the buyer's account.

(2) Where payment is made through cheque or demand draft, the same shall be drawn in favour of the issuing bank at the place of issue such bond.

**12. Encashment of the bond.**—(1) The bond can be encashed only by an eligible political party by depositing the same in their designated bank account.

(2) The amount of bonds not encashed within the validity period of fifteen days shall be deposited by the authorised bank to the Prime Minister Relief Fund.

**13. Tax treatment.**— The face value of the bonds shall be counted as income by way of voluntary contributions received by an eligible political party, for the purpose of exemption from Income-tax under section 13A of the Income-tax Act, 1961.

**14. Trading of bonds.**—The bonds shall not be eligible for trading.

#### Annexure I

**Name of Authorised Bank: STATE BANK OF INDIA**  
**[refer clause 2 (b)]**

**List of Issuing Branches:** [refer clause 2 (c)]

S.NO.	STATE	BCODE	BRANCH NAME
1	ANDHRA PRADESH	952	VISAKHAPATNAM
		948	VIJAYAWADA
2	ANDAMAN & NICOBAR	156	PORT BLAIR
3	ARUNACHAL PRADESH	6091	ITANAGAR
4	ASSAM	78	GUWAHATI
5	BIHAR	152	PATNA MAIN BRANCH
6	CHANDIGARH	626	CHANDIGARH MAIN BRANCH
7	CHHATISGARH	461	RAIPUR
		336	BILASPUR
8	DADAR & NAGAR HAVELI	6586	SILVASSA
9	DAMAN & DIU	514	DAMAN
10	DELHI	691	NEW DELHI MAIN BRANCH
11	GOA	509	PANAJI
12	GUJARAT	1355	GANDHI NAGAR
		301	AHMEDABAD
13	HARYANA	645	NEW COLONY GURGAON
14	HIMACHAL PRADESH	718	SHIMLA
15	JAMMU& KASHMIR	2295	BADAMI BAGH BR SRINAGAR
		657	JAMMU
16	JHARKHAND	167	RANCHI
17	KARNATAKA	813	BANGALORE MAIN BRANCH
		846	HUBLI
18	KERALA	941	THIRUVANANTHAPURAM MAIN
19	LAKSHADWEEP	5080	KAVARATTI
20	MADHYA PRADESH	1308	BHOPAL MAIN BRANCH
		377	GWALIOR MAIN BRANCH
21	MAHARASHTRA	300	MUMBAI MAIN BRANCH
		432	NAGPUR
		454	PUNE MAIN BRANCH
22	MANIPUR	92	IMPHAL
23	MEGHALAYA	188	SHILONG
24	MIZORAM	1539	AIZAWL
25	NAGALAND	214	KOHIMA
26	ODISHA	41	BHUBANESHWAR
		59	CUTTACK
27	PUDUCHERRY	900	PUDUCHERRY
28	PUNJAB	674	LUDHIANA
29	RAJASTHAN	656	JAIPUR MAIN BRANCH
		659	JODHPUR
30	SIKKIM	232	GANGTOK

31	TAMILNADU	800	CHENNAI MAIN BRANCH
		827	COIMBATORE
32	TELANGANA	916	SECUNDERABAD
		5324	NIZAMABAD
		847	HYDERABAD MAIN BRANCH
33	TRIPURA	2	AGARTALA
34	UTTAR PRADESH	125	LUCKNOW
		86	GORAKHPUR
		102	JHANSI
		602	AGRA MAIN BRANCH
35	UTTARAKHAND	630	DEHARADUN MAIN BRANCH
36	WEST BENGAL	1	KOLKATA MAIN BRANCH
		184	SILIGUDI

**Annexure II****Format of Application for Issue of Electoral Bond:**

APPLICATION FORM FOR ELECTORAL BONDS _____ (YEAR)						
NAME OF ISSUING BANK:		NAME OF BRANCH:				
DATE						
MODE OF SUBSCRIPTION		CHEQUE/DD		ELECTRONIC TRANSFER		
		DETAILS OF CHEQUE/DD/			DATED	
AMOUNT IN FIGURES:		AMOUNT IN WORDS:				
DENOMINATION & NUMBER OF ELECTORAL BONDS REQUIRED (in denomination of ₹1000, ₹10,000, ₹1,00,000, ₹10,00,000 and ₹1,00,00,000)						
PAN NO. / TAN NO. AS APPLICABLE						
APPLICANT STATUS (As per clause 3(a) of the notification No..... dated.....)	INDIVIDUAL	HUF	COMPANY	FIRM	CHARITABLE TRUST	Others
APPLICANT (S) DETAILS (IN BLOCK LETTERS)						
FIRST/ SOLE APPLICANT'S NAME IN FULL:						
DETAILS OF IDENTITY: (Passport, Aadhaar/Voter Id)						
SECOND APPLICANT'S NAME IN FULL:						
(Name of more applicant's can be added, if situation so demands)						
DETAILS OF IDENTITY: (Passport, Aadhaar/Voter Id)						
FIRST / SOLE APPLICANT'S ADDRESS IN FULL:						

CONTACT DETAILS :

PHONE/ FAX:

EMAIL:

DECLARATION: I/ We hereby declare and undertake that

- (i) The information furnished in the application form is correct in all respects.
- (ii) I have read and understood the details of information for the buyer of the Electoral Bonds as well as the rights and duties of the Electoral Bond holder.

Signature

Signature

1<sup>ST</sup> APPLICANT

2<sup>ND</sup> APPLICANT

IN CASE OF THUMB IMPRESSION, ATTESTATION BY TWO WITNESSES:

1<sup>ST</sup> WITNESS (DETAILS)

2<sup>ND</sup> WITNESS (DETAILS)

**HUF DECLARATION :**

I, \_\_\_\_\_ RESIDING AT THE ADDRESS GIVEN AGAINST FIRST APPLICANT, DO SOLEMNLY AFFIRM THAT I AM THE KARTA OF THE HINDU UNDIVIDED FAMILY AND AS SUCH HAVE FULL POWERS TO PURCHASE AND OTHER WISE DEAL IN THE ELECTORAL BONDS STANDING IN THE NAME OF THE HUF.

SPECIMEN SIGNATURE FOR AND ON BEHALF OF THE HUF (*Name of the HUF*):

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature of the Karta

FOR OFFICE USE

Date of receipt of application	BLA No./ CIF No.	HUF status (Y/N)	Any other information

**INFORMATION FOR BUYERS OF ELECTORAL BOND:**

ITEM	ELECTORAL BOND
WHO CAN BUY	(1) The Bond under this Scheme may be purchased by a person, who is a citizen of India or incorporated or established in India. (2) A person being an individual can buy bonds, either singly or jointly with other individuals.
LIMIT OF INVESTMENT	None
FORM OF ELECTORAL BONDS	Non-refundable banking instrument, in physical form
INTEREST OPTION	No interest shall be payable
LIFE OF ELECTORAL BOND	<b>To be encashed within fifteen days from date of issuance.</b>
TRADABILITY	Not tradable.
LOANS FROM BANKS AGAINST SECURITY OF THESE ELECTORAL BONDS	Not permitted.
APPLICATION FORMS	Available at designated branches of authorised Banks.
ENCASHMENT	Only the political parties registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one per cent of the votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly, as the case may be, shall be eligible to receive the bond.

[F. No. 4(23)-B(W&amp;M)/2017]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

RAKESH  
SUKUL

Digitally signed by  
RAKESH SUKUL  
Date: 2018.01.03 21:26:42  
+05'30'